# कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर

पत्रांक 2493 / शस्त्र लिपिक–प्रथम दिनांक 23-11-13

## अनापत्ति प्रमाण–पत्र

चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0,
नोएडा–201 301

आपके पत्र दिनांक 11–05–2013 के संदर्भ में भूमि खसरा संख्या 165 क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम–लालपुर, परगना व तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर(सिकन्द्राबाद–बुलन्दशहर मार्ग)(गाजियाबाद–कानपुर रोड) (एन0एच0–91) कि0मी0 स्टोन 59,200(आर0एच0एस0)पर उल्लिखित अवस्थिति एवं पत्र के साथ संलग्न विधिवत हस्ताक्षरित एवं इस कार्यालय द्वारा मुद्रांकित आरेखण में दर्शाये गये स्थान पर 16+16=32 के0एल0 एम0एस0(पैट्रोल) एवं 22के0एल0+22के0एल0=44 के0एल0 एच0एस0डी0(डीजल)अण्डरग्राउन्ड भण्डारण क्षमता के रिटेल आउटलेट के स्थापित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर, उप जिला मजिस्ट्रेट, सिकन्द्राबाद, जिला पूर्ति अधिकारी बुलन्दशहर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ, जनरल मैनेजर एण्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़ एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर से निम्नांकित आधारों पर प्राप्त जांच आख्याओं के आधार पर आपके पक्ष में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है :

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर की आख्या पत्रांक आर–एसएसपी–6/2013 दिनांक 25–10–2013 एवं स्थानीय पुलिस की आख्या के अनुसार नवीन रिटेल आउटलेट के लिए प्रस्तावित भूमि खसरा सं0165 के स्वामी श्री जुगेन्द्र सिंह हैं, प्रस्तावित भूमि जी0टी0रोड पर सड़क से दक्षिण ओर है, जिसके पास कोई बिजली की लाइन नहीं जा रही है। नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु संस्तुति की है तथा साइट प्लान को उपनिरीक्षक, थाना सिकन्द्राबाद द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(2) उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्द्राबाद की आख्या पत्रांक 1037/आर0सी0 दिनांकित 24–09–2011 एवं तहसील आख्या के अनुसार भूमि गाटा सं0165 क्षेत्रफल 0.9450 हेक्टेयर भू–अभिलेखों में श्री जुगेन्द्र सिंह पुत्र राजपाल, निवासी ग्राम बिलसूरी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जिन्होंने श्री कुंवरपाल सिंह के पक्ष में उक्त भूमि में से 1600 वर्ग मीटर भूमि पंजीकृत लीज डीड दिनांकित 06–09–2010 के द्वारा तथा उसी गाटे से 200 वर्ग मीटर भूमि दूसरी पंजीकृत लीज डीड दिनांकित 03–08–2012 के द्वारा पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दी है, प्रस्तावित स्थल सिकन्द्राबाद–बुलन्दशहर रोड पर स्थित है, आबादी से दूर है, ग्राम समाज की नहीं है, रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रेषित करते हुए साइट प्लान को उप जिला मजिस्ट्रेट सिकन्द्राबाद द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ATTESTED

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

J.S. ... (Advocate)
NOTARY
...9481/12
... Officer, AGRA

Place: Agra
Date: 14.12.2017

(3) जिला पूर्ति अधिकारी,बुलन्दशहर द्वारा आख्या पत्रांक 4089/जि0पू0अ0/पे0उ0/2011 दिनांकित 04-08-2011 प्रेषित की है। साइट प्लान के अनुसार उन्होंने अन्य विभागों द्वारा आपत्ति न होने पर अपने विभाग से अनापत्ति प्रेषित की है।

(4) मुख्य अग्निशमन अधिकारी,मेरठ ने अपनी आख्या पत्रांक 07-सीएफओ-एनओसी(पेट्रोलियम)/11 दिनांक 29 जून,2011 प्रेषित की है। प्रस्तावित स्थल को अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षित अंकित किया है तथा स्थल तक किसी आपात स्थिति में अग्निशमन के वाहन आसानी से आ जा सकने का कथन करते हुए निम्नांकित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के प्राविधान कराये जाने हेतु सुझाव दिये हैं :

1- एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 5 के0जी0- 6 अदद
2- मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 लीटर- 6 अदद
3- सीओटू टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 4.5 के0जी0-4 अदद
4- फोम ट्राली क्षमता 50 लीटर - 2 अदद
5- फोम कम्पाउन्ड रिजर्व हेतु 50 लीटर
6- फायर बकेट्स क्षमता 09 लीटर-12 अदद
7- धुम्रपान निषेध बोर्ड पर्याप्त मात्रा में।
8- बालू/रेत का ढेर पर्याप्त मात्रा में बेल्चा सहित।
9- फायर सर्विस के टेलीफोन नं0 101, 223898, पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नं0100 एवं स्थानीय पुलिस स्टेशन/नर्सिंग होम के टेलीफोन नम्बर बोर्ड।
9- मानचित्र में दर्शाये गये बिन्दु सं01 से 25 तक दिये गये दिशा-निर्देशों का एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रबन्धक को यह भी निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त सुझायी गयी समस्त प्राथमिक अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के प्राविधानों को कार्य संचालन करने से पूर्व स्थापित कर अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आख्या अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु संस्तुति सहित प्रेषित करते हुए साइट प्लान मुख्य अग्निसुरक्षा अधिकारी मेरठ द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(5) जनरल मैनेजर एण्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)परियोजना कार्यान्वयन इकाई,अलीगढ़ द्वारा अपने पत्रांक NHAI/PIU-ALG/44016/2013/D-2744 दिनांकित 18-10-2013 के द्वारा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के प्रतिबन्ध के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या अग्रसारित करते हुए साइट प्लान असिस्टैन्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(6) प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,बुलन्दशहर ने अपने स्तर से जांच कराने के उपरान्त अपनी आख्या पत्रांक 1164/14-1 दिनांक 18 सितम्बर,2013 प्रेषित की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित आउटलेट दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच0-91)कि0मी059 की दांयी पटरी के समानान्तर स्थित निजी भूमि खसरा नं0165 स्थित ग्राम लालपुर,परगना व तहसील सिकन्द्राबाद में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, प्रस्तावित आउटलेट पर आवागमन(प्रवेश एवं निकासी)करने के लिए मार्ग निर्माण हेतु मार्ग की पटरी भूमि संरक्षित वन घोषित है। प्रस्तावक फर्म द्वारा भारतीय

ATTESTED

Place: Agra
Date: 14.12.2017

J.S. Bhagaur (Advocate)
DISTT. NOTARY
R.No. 481/12
Gazetted Officer, AGRA

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है तथा संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने से पूर्व भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम,1980 के अन्तर्गत वन भूमि के हस्तान्तरण अनुमति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था,जिसे नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ को भेजा जा चुका है। आवेदक को साइट प्लान में निर्धारित भण्डारण क्षमता का नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया गया है :

1– रिटेल आउटलेट पर आवागमन हेतु प्रस्तावित मार्ग पटरी की भूमि का उपयोग करने के संबंध में यदि मा0उच्चतम न्यायालय/विभागीय उच्च स्तर पर कोई निर्देश निर्गत किये जाते हैं तो वे प्रस्तावक फर्म/प्रतिष्ठान को मान्य होंगे।

2– मार्ग पटरी की भूमि पर खड़ी वनस्पतियों,वृक्षों अथवा प्राकृतिक पुनरोत्पादन को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी तथा याचक मै0हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 नोएडा द्वारा प्रस्तुत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उल्लिखित संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3– मार्ग पटरी की प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त आस–पास स्थित अन्य संरक्षित वन भूमि पर कोई होर्डिंग,साइनबोर्ड इत्यादि नहीं लगाये जायेंगे।

4– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की आधारभूत स्थापना अपनी निजी भूमि खसरा सं0165 पर अपने स्वयं के जोखिम पर करना होगा,क्योंकि संरक्षित वन भूमि (0.0926 हे0)के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव यदि किसी कारणवश निरस्त हो जाता है तो प्रस्तावक फर्म/कायदायी संस्था द्वारा अपनी निजी भूमि पर प्रस्तावित आउटलेट के निर्माण आदि पर आने वाले व्यय का कोई दावा(Claim)वन विभाग पर नहीं किया जायेगा अर्थात् आउटलेट स्थापना पर आने वाले किसी भी प्रकार के व्यय अथवा क्षतिपूर्ति दावों के देयकों की जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं होगी।

5– प्रस्तावित आउटलेट की स्थापना के पश्चात् डीजल/पेट्रोल के भण्डारण/आपूर्ति का कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उनकी शर्तो के अधीन किया जा सकेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पूर्व डीजल/पेट्रोल का भण्डारण/आपूर्ति का कार्य किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

6– प्रस्तावित आउटलेट की स्थापना हेतु कार्य करने वाले कर्मचारी तथा मजदूर अपनी ईधन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वन विभाग के वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचायेंगे तथा अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए अन्य वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करेंगे।

7– प्रस्तावक फर्म/कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर वन विभाग की यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा वन विभाग वन संरक्षण अधिनियम,1980 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8 प्रस्तावक फर्म/प्रतिष्ठान के स्वामी को उक्त शर्तो का अनुपालन करने हेतु रू0100/–मात्र के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।

साइट प्लान प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,बुलन्दशहर द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ATTESTED

Place : Agra
Date : 14.12.2017

J.S. Bhadaur (Advocate)
DIST. NOTARY
R... 3481/12
Gazetted Officer, AGRA

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

....4

(7) साइट प्लान में प्रदर्शित भण्डारण स्थल को बिना अनुमति के किसी भी दशा में नहीं बदला जायेगा।

(8) आवेदक/लैटर ऑफ इन्टेन्ट होल्डर द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन न करने की दशा में आपत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(9) प्रतिष्ठान में उत्पन्न किसी भी जोखिम के लिए स्वामित्वधारी/प्रबन्धन जिम्मेदार होगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

( जी0एस0प्रियदर्शी )
जिला मजिस्ट्रेट,बुलन्दशहर।

पृष्ठांकन संख्या : /शस्त्र लिपिक–प्रथम तद्‌दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1– मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,मध्यांचल 63/4,संजय पैलेस,केन्द्रालय,आगरा–282002 को विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित आरेखण की एक प्रति के साथ प्रेषित।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,बुलन्दशहर को उनके पत्रांक आर–एसएसपी–6/2013 दिनांक 25–10–2013 के संदर्भ में।

3– उप जिला मजिस्ट्रेट,सिकन्द्राबाद(बुलन्दशहर) को उनके कार्यालय पत्रांक 1037/आर0सी0दिनांकित 24–09–2011 के संदर्भ में।

4– जिला पूर्ति अधिकारी,बुलन्दशहर को तत्सम्बन्ध में उनके कार्यालय पत्रांक 4089/जि0पू0अ0/पे0उ0/2011 दिनांक 04–08–2011 के संदर्भ में।

5– मुख्य अग्निशमन अधिकारी,मेरठ को उनके पत्रांक 07–सीएफओ–एनओसी (पेट्रोलियम)/11 दिनांकित 29 जून,2011 के संदर्भ में।

6– जनरल मैनेजर एण्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टर,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)परियोजना कार्यान्वयन इकाई,अलीगढ़ को उनके पत्रांक NHAI/PIU-ALG/44016/2013/D-2744 दिनांकित 18–10–2013 के संदर्भ में।

7– प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,बुलन्दशहर को उनके पत्रांक 1164/14–1 दिनांक 18 सितम्बर,2013 के संदर्भ में।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।

ATTESTED
S. Bhadaur (Advocate)
DISTT. NOTARY
R. No. 94
Gazetted Officer, AGRA

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)

Place: Agra
Date: 14.12.2017